उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 03/2018/पी-21/अड़तीस-9-18-01(बजट)/17

लखनऊ : दिनांक- 30 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र में मार्ग सम्पर्कता परियोजना (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 3793.35 लाख तथा उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 2528.90 लाख अर्थात् कुल रू0 6322.25 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2017/पी-816/अड़तीस-9-2017-01(बजट)/2017, दिनांक-15.11.2017 के प्रस्तर-2 की शर्त/प्रतिबन्ध सं0-5 में उल्लेख किया गया है कि उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत खाता सं0-10616665816 में तत्काल जमा किया जायेगा।

2- इस संदर्भ में भारत सरकार के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-पी-17024/26/2017-आरसी (एफटीएस नं0-357338) दिनांक-06.11.2017 के प्रस्तर-6 में उल्लिखित निर्देश के क्रम में उप सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-पी-17024/26/2017-आरसी (एफटीएस नं0-357338) दिनांक-03.01.2018 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, (ब्रांच कोड सं0-6144), (आईएफएस कोड सं0-एसबीआईएन0006144), लखनऊ में खुले बचत खाता सं0-10616665805 पढ़े जाने हेतु शुद्धि-पत्र निर्गत किया गया है।

3- अतः उप सचिव (आरसी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-03.01.2018 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-15.11.2017 के प्रस्तर-2 की शर्त/प्रतिबन्ध सं0-5 में अंकित उक्त स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत खाता सं0-10616665816 के स्थान पर **"भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, (ब्रांच कोड सं0-6144), (आईएफएस कोड सं0-एसबीआईएन0006144), लखनऊ में खुले बचत खाता सं0-10616665805"** पढा जाय।

4- उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-39/2017/पी-816/अड़तीस-9-2017-01(बजट)/2017, दिनांक-15.11.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक-15 नवम्बर, 2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

सहदेव
विशेष सचिव।

संख्या-03/2018/पी-21(1)/अड़तीस-9-2018, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
11- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।